न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी – जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 631 / 2025
वाद पत्र अ.धारा:– 88, आर,टी.ए.

1. जसवंत पुत्र श्री रखाराम जाति नाई निवासी–नगराना तह0:–संगरिया, जिला–हनुमानगढ़,(राज0)

–वादी

बनाम्

1. रेणु पुत्री श्री रखाराम जाति नाई निवासी–नगराना तह0:–संगरिया, जिला–हनुमानगढ़,(राज0)
2. सुनीता पुत्री श्री रखाराम जाति नाई निवासी–नगराना तह0:–संगरिया, जिला–हनुमानगढ़,(राज0)
3. सुमन पुत्री श्री रखाराम जाति नाई निवासी–नगराना तह0:–संगरिया, जिला–हनुमानगढ़,(राज0)
4. तहसीलदार, (राजस्व), संगरिया ,तहसील– संगरिया, जिला–हनुमानगढ़(राज0)

–– प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. *श्री सुनील कुमार टाण्डी – वकिल वादी*
2. *श्री प्रदीप जाखड –वकिल प्रतिवादी सं. 1 ता 3*

दिनांक :– 25.2.2026

निर्णय

1. वादी जसवंत ने प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के विरूद्व यह राजस्व वाद बाबत घोषणा के तहत दिनांक 09.12.2025 को इस न्यायालय मे पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण का पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी सं0:– 01 ता 3 आपस में संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं0:–01 ता 3 वादी की सग्गी बहिने है। वादी व प्रतिवादी सं. 01 ता 3 कि माता स्व. श्री सुमित्रा पत्नी रखाराम व वादी व प्रतिवादी सं. 01 ता 3 के

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नाम से तहसील संगरिया के चक नं0:–11एस0बी0एन0 कि जमाबन्दी सम्वंत 2073–76 के खाता सं0– 47/89 मे प्रत्येक का 167/5060 हिस्सा यानी 0.334 हैक्ट बहिब व चक नं0:–6एन0जी0आर0 कि जमाबन्दी सम्वंत 2072–75 के खाता सं0– 14/23 मे प्रत्येक का 2671/160250 हिस्सा यानी 0.5342 हैक्ट बहिब कृषि भुमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिनकी जमाबन्दी संलग्न वाद –पत्र है। जो वादपत्र का आधार है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 3 वादी की बहिने है। जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वाद पत्र की चरण सं0:–02 में वर्णित कृषि भुमि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारनामा आपसी सहमति व रिश्तेदारों ने करवा दिया है। उक्त बंटवारनामा के रोज से ही वादी व प्रतिवादीगण बंटवारनामा में प्राप्त कृषि भुमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 कि माता स्व. श्रीमति सुमित्रा पत्नी रखाराम कि मृत्यु हो चुकी हैं। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र सलग्न वाद पत्र है। वादी व प्रतिवादीगण कि माता स्व. श्रीमति सुमित्रा के नाम कृषि भूमि मे प्रत्येक का 1/4 हिस्सा विरास्तन व जन्मजात बनता है। प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि मे जो भी विरास्तन हक व हिस्सा बनता था उसको अपने पास नही रखना चाहते है इसलिए अपने उक्त हक व हिस्सा का त्याग मौखीक रूप से अपने भाई वादी के पक्ष मे. कर दिया है। कब्जा बाबत् आपस में कोई विवाद नही है, उक्त कृषि भुमि में इस प्रकार वादी को घरू बंटवारनामा में निम्नलिखित कृषि भुमि प्राप्त हुई है चक नं. 11एस0बी0एन0 के खाता संख्या 47/89 मे 0.334 हैक्ट कृषि भूमि व चक नं. 6एन0जी0आर0 के खाता संख्या 14/23 मे 0.5342 हैक्ट कृषि भूमि प्राप्त हुई थी। वादी व प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भुमि में जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के दादा स्व.श्री केसराराम व पिता स्व. श्री रखाराम से विरासतन में प्राप्त हुई है जिसका वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में घरू बंटवारनामा कर लिया है, उक्त बंटवारनामा के अनुसार ही वादी वाद पत्र की चरण सं0–04 में वर्णित कृषि भुमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करता आ रहां है। परन्तु उक्त कृषि भुमि वादी के माता स्व. श्रीमति सुमित्रा एव बहिने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम होने के कारण वादी के हक व हकूक पर बूरा प्रभाव पड़ रहा है तथा सदैव झगड़ा होने का अन्देशा बना रहता है, इसी कारण वादी उक्त कृषि भुमि का राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की घोषणा करवाना चाहता है। वादी को उक्त कृषि भुमि अपनी माता स्व. श्रीमति सुमित्रा व पिता स्व. श्री रखाराम से विरास्तन में प्राप्त हुई थी, जिसमें

उप कलक्टर एवं
खण्ड अधिकारी
संगरिया

वादी का जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारनामा हो चुका है व उसी के मुताबिक वादी काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहा है। उक्त कृषि भूमि वादी की माता स्व. श्रीमति सुमित्रा एव बहिने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के के नाम होने के कारण वादी को भारी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिये वादी अपने नाम की घोषणा करवाने के हक मुस्त हक व दावेदार है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से वाद–पत्र की चरण सं0:–04 में वर्णित तथ्य अनुसार कृषि भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करते रहे परन्तु कल उन्होने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, बस यही वाद कारण है।वादी को उक्त कृषि भूमि का घरू बंटवारनामा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया गया तो वादी को कभी भी पूरा न होने वाला नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नही आंकी जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन हमेशा वादी के पक्ष में रहा है। प्रति सं0–:04 को लैण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, उनसे सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है।वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।लिहाजा वाद वादी पेश कर अर्ज है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे:–(क)––यह है कि इस आश्य की घोषणा फरमाई जावे कि वादी को वाद पत्र की चरण सं0–04 के अनुसार वादी को चक नं. 11एस0बी0एन0 के खाता सख्या 47/89 मे दर्ज 0.334 हैक्ट व चक नं. 6एन0जी0आर0 के खाता सख्या 14/23 मे दर्ज 0.5342 हैक्ट कृषि भुमि का .खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी की माता स्व. श्रीमति सुमित्रा व वादी की बहिने प्रतिवादी सं.01 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम अंकित किया जावे।

उक्त तथ्यो के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन पत्र तलब किया गया। प्रति. सं. 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर प्रति.सं. 1 ता 3 ने वादी के साथ राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी सं. .4 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जबाव दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रकरण में प्रतिवादीगण सहमत होने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही है। वकिल वादी को साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया साक्ष्य वादी में वादी ने शपथ पत्र अ.आदेश 18 नियम 4 सी.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पी.सी. पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया व दस्तावेज जमाबन्दीया प्रर्दशित करवाई गई व वकिल वादी शेष साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहता है इसलिए साक्षी वादी बन्द किया जाकर प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अवसर दिया गया वकिल प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी।

बहस वकिल उभयपक्ष सुनी गई। वकिल वादी ने वाद पत्र कथनो को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया बहस मे वकिल प्रतिवादीगण द्वारा वकिल वादी के कथनो का विरोध नही करते हुए वाद डिक्री करने हेतु सहमति जताई

दस्तावेजो का गहराई से अध्यन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया वकिल प्रतिवादीगण द्वारा वकिल वादी के कथनो का विरोध नही किया प्रति. सं. 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता हाजीर अदालत आकर राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नही है। प्रशनगत भूमि विरास्तन भूमि है। इसलिए वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अत; वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता है। :-कि वादी कि माता सुमित्रा व वादी की बहिने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम चक नं. 11एस0बी0एन0 के खाता सख्या 47/89 मे दर्ज 0.334 हैक्ट व चक नं. 6एन0जी0आर0 के खाता सख्या 14/23 मे दर्ज 0.5342 हैक्ट कृषि भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी की माता स्व. श्रीमति सुमित्रा व वादी की बहिने रेणु, सुनीता, सुमन का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम अंकित किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकरान अपना अपना अलग वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.:– 631/2025

वाद पत्र अ0 धारा 88, आर.टी.ए.

1. जसवंत पुत्र श्री रखाराम जाति नाई निवासी–नगराना तह0:–संगरिया, जिला–हनुमानगढ़,(राज0)

–*वादी*

बनाम्

1. रेणु पुत्री श्री रखाराम जाति नाई निवासी–नगराना तह0:–संगरिया, जिला–हनुमानगढ़,(राज0)
2. सुनीता पुत्री श्री रखाराम जाति नाई निवासी–नगराना तह0:–संगरिया, जिला–हनुमानगढ़,(राज0)
3. सुमन पुत्री श्री रखाराम जाति नाई निवासी–नगराना तह0:–संगरिया, जिला–हनुमानगढ़,(राज0)
4. तहसीलदार, (राजस्व), संगरिया ,तहसील– संगरिया, जिला–हनुमानगढ़(राज0)

–– प्रतिवादीगण

दिनांक 25-2-2026

यह राजस्व मुकदमा आंज मुझ सहायक कलैक्टर एव उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील कुमार टांडी वकिल वादी मिन जामिन मुदई व श्री प्रदीप जाखड वकिल प्रति.सं. 01 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है यह डिक्री दी जाती है;–इस आशय के घोषणा फरमाई जाती है कि वादी को वाद पत्र कि चरण सं. 4 के अनुसार वादी को संगरिया तहसील के चक नं. 11 एस0बी0एन0 के खाता सख्या. 47/89 में 0.334 हैक्ट. व चक नं.6 एन0जी0आर0 के खाता संख्या 14/23 में 0.5342 हैक्ट. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त खातो में वादी कि स्व.श्रीमति

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

त्रा व वादी की बहिने प्रतिवादी सं. 1 रेणु प्रति.सं. 2 सुनीता प्रति.सं.3 सुमन का कलमजन किया जाकर वादी का नाम अंकित किया जाता है ।

पक्षकारान अपना – अपना वहन करेगे।

– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

X निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह सदी सालाना आज की तारिख वसूलयाबी तक...X...अदा करे।

मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25-2-2024 जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड

अधिकारी संगरिया